कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2928 /आगरा/32379/2018, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 16 , 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2
लखनऊ।

विषय : आगरा में जल सम्पूर्ति (गंगा जल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ0प्र0 जल निगम आगरा द्वारा बिछाई गयी पाइपलाइन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/08/33/2018/एफसी/25, दिनांक 11.04.2018,

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित बिन्दुवार सूचनायें व अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें व अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, आगरा के पत्रांक–4751/14–1, दिनांक 13.04.2018 द्वारा बिन्दु–3 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित संस्तुति पत्र की प्रति संलग्न करते हुए, अन्य बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना व अभिलेख की तीन प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं। अतः उक्त सूचनाओं व अभिलेखों की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2928 / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0–एच, अलीगंज, लखनऊ।

2– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

3– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा।

4– परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।